

## अनुसूचति जनजाति (ST) सूची में संशोधन हेतु वधियक

### प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग, अनुसूचति जनजाति, संवधान की पाँचवी अनुसूची, संवधान की छठी अनुसूची ।

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया, भारत में जनजातियों से संबंधति संवधानिक प्रावधान और पहल ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 4 राज्यों - तमलिनाडु, कर्नाटक, हमिचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में [अनुसूचति जनजाति \(ST\) सूची](#) को संशोधति करने की मांग करने वाले चार वधियकों को [संवधान \(ST\) आदेश, 1950](#) में प्रस्तावति संशोधनों के माध्यम से [लोकसभा](#) में पेश कयि गया था ।

## प्रस्तावति परिवर्तन:

- वधियक का उद्देश्य:
  - तमलिनाडु की ST सूची में [नारीकोरवन और कुरुवकिंकरन पहाड़ी जनजातियों](#) को शामिल करना ।
    - [लोकसमति \(1965\)](#) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सफिरशि की थी ।
  - कर्नाटक की ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत [काडू कुरुबा](#) के पर्याय के रूप में [बेट्टा-कुरुबा](#) को शामिल करना ।
  - छत्तीसगढ़ की ST सूची में पहले से वर्गीकृत भारयि भूमयि जनजाति के लयि देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना ।
    - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजाति का हसिा हैं, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं ।
  - सरिमोर ज़िले में ट्रांस-गरि क्षेत्र के [हट्टी समुदाय](#) को हमिचल प्रदेश की ST सूची में शामिल करना (लगभग पाँच दशकों के बाद) ।

## ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- राज्य द्वारा सफिरशि:
  - जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रया संबंधति राज्य सरकारों की सफिरशि से शुरू होती है, जसि बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि [भारत के महापंजीयक](#) को इसे प्रेषति करता है ।
- NCST से मंजूरी: इसके बाद सूची को अंतिम नरिणय के लयि कैबिनेट को भेजे जाने से पहले [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग \(National Commission for Scheduled Tribes- NCST\)](#) द्वारा मंजूरी दी जाती है ।
- राष्ट्रपति की सहमति: अंतिम नरिणय करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहिति है ([अनुच्छेद 342](#) के तहत) ।
  - अनुसूचति जनजाति में कसि भी समुदाय को शामिल करने की प्रक्रया संवधान (अनुसूचति जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होती है ।

## भारत में अनुसूचति जनजातियों से संबंधति प्रावधान

- परभाषा:
  - भारत का संवधान अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषति नहीं करता है । [वर्ष 1931 की जनगणना](#) के अनुसार, अनुसूचति जनजातियों को "बहषिकृत" और "आशकि रूप से बहषिकृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजातियों" के रूप में मान्यता जाना जाता है ।
  - भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय वधिनसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल कयि जाने की मांग की ।
- संवधानिक प्रावधान:

